



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिक से छेड़खानी करने वाले अभियुक्त को 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना सुमेरपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0- 1623/2015 धारा-354,504 भा0द0सं0, 08 पॉक्सो एक्ट व 3(1)11 एससी/एसटी एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त रवि सिंह पुत्र मामू सिंह उर्फ अजय सिंह निवासी ग्राम कुण्डौरा जनपद हमीरपुर को दोषसिद्ध करते हुए 03 वर्ष के कठोर कारावास व ₹10,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री रुद्रप्रताप
सिंह



विवेचक-
सीओ सीताराम



पैरोकार- थाना सुमेरपुर
का0 जगत सिंह